



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032023-244545
CG-DL-E-21032023-244545

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1308]
No. 1308]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 21, 2023/फाल्गुन 30, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 21, 2023/PHALGUNA 30, 1944

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2023

का.आ. 1361(अ).—सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को प्रदर्शित करने के लिए भारत के राजपत्र, भाग-II - खण्ड-3 - उप खण्ड (ii) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की अधिसूचनाओं, 18 अप्रैल, 2016 के का.आ.1443 (अ), 16 अप्रैल, 2020 के का.आ.1261(अ), 01 जुलाई, 2021 के का.आ.2668(अ) और 31 जनवरी, 2023 के का.आ.457(अ), में आंशिक संशोधन करते हुए केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित (अंडरलाइन द्वारा दर्शाए गए) संशोधन/परिवर्तन करती है:-

1. 18 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.1443(अ) के अध्याय I के क्रम सं. 2 (xii) के पैरा को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

“पात्र उधारकर्ता” से पीएमएमवाई के तहत आने वाला कोई क्षेत्र या एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 (समय-समय पर यथासंशोधित) में यथापरिभाषित नई अथवा मौजूदा सूक्ष्म इकाई/उद्यम अभिप्रेत है, जिनमें संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) संरचना के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से (जेएलजी के अंतर्गत गारंटी की उपलब्धता को ध्यान में रखे बिना) स्थापित सूक्ष्म इकाई/उद्यम शामिल है, जो निधि द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्डों को पूरा करता है और जिसकी ऋण आवश्यकता पीएमएमवाई के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो, के अंतर्गत आता है। ऋण की

विनिर्दिष्ट सीमा 10 लाख रुपये अथवा कोई अन्य ऐसी राशि होगी, जो निधि द्वारा समय-समय पर निधि द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, पीएमजेडीवाई खातों के तहत स्वीकृत 10,000/- रुपये की ओवरड्राफ्ट ऋण राशि भी क्रेडिट गारंटी निधि के अंतर्गत कवर किए जाने हेतु पात्र होगी। पात्र उधारकर्ताओं से वैसे स्वयं-सहायता समूह भी अभिप्रेत होंगे, जो निधि द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हों तथा जिनकी ऋण राशि 10 लाख रुपये से ऊपर तथा 20 लाख रुपये तक हो।

2. 18 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.1443(अ) के अध्याय III के क्रम सं. 8 (i)(क) के पैरा को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

(क) आधार वर्ष (पोर्टफोलियो निर्माण का वर्ष) के दौरान – गारंटी शुल्क का भुगतान पूरे वर्ष या बाधित अवधि, अर्थात् उत्तरवर्ती वर्ष के 31 मार्च तक, जैसा भी मामला हो, के संबंध में सूक्ष्म ऋण पोर्टफोलियो, जिसमें व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) संरचना के अंतर्गत स्थापित सूक्ष्म इकाई और उद्यम शामिल हैं, के तिमाही सृजित शेष राशि की बकाया राशि की तदनु रूप राशि स्वीकृत करने पर किया जाएगा। यह नोट किया जाए कि ऐसे स्वीकृत मामले, जिन्हें पोर्टफोलियो के चालू रहने के दौरान रद्द/पुनर्भुगतान/पूर्व भुगतान/अधिकार में लिया गया हो, के संबंध में पोर्टफोलियो के अंतर्गत ऐसे स्वीकृत मामलों के संबंध में कोई गारंटी शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा और कोई गारंटी कवर लागू नहीं होगा।

3. 18 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.1443(अ) के अध्याय IV के क्रम सं. 9 (i) के पैरा को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

(i) 'प्रथम हानि पोर्टफोलियो गारंटी' स्वरूप में, जहां एमएलआई के निर्धारित पोर्टफोलियो की पहली चूक की 3% राशि का वहन एमएलआई द्वारा किया जाएगा और इस कारण इसे दावा हेतु शामिल नहीं किया जाएगा। शेष भाग में से 'गारंटी की सीमा' पोर्टफोलियो में 'चूक की राशि' के अधिकतम 75% तक या आनुपातिक आधार पर समय-समय पर निधि द्वारा निर्धारित प्रतिशत तक होगी। यह व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) के अंतर्गत स्थापित सूक्ष्म इकाई/उद्यम पर लागू होगी।

इस योजना की अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

[फा. सं. 16/01/2021-पीएमएमवाई]

मुकेश कुमार बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2023

S.O. 1361(E).—In partial modification of MINISTRY OF FINANCE (Department of Financial Services) NOTIFICATIONS New Delhi, number S.O. 1443(E) dated the 18th April, 2016, number S.O. 1261(E) dated the 16th April, 2020, number S.O. 2668 (E) dated the 01st July, 2021 and number S.O. 457(E) dated 31st January, 2023 appearing in the Gazette of India: EXTRAORDINARY PART II—Section 3—Sub-section (ii) publishing the Scheme of Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU), the Central Government hereby introduces certain changes/alterations which are given in italics & underlined\:

1. Paragraph at Serial No.2 (xii) of Chapter I of Notification number S.O. 1443(E) dated the 18th April, 2016, shall be read as:

"Eligible borrower" means new or existing micro unit / enterprise, including micro unit/enterprise set up under Joint Liability Group (JLG) framework, individually or jointly (irrespective of the availability of guarantee under JLG), falling under any sector covered under PMMY or as defined in the MSMED Act, 2006 (as amended from time to time), who meets eligibility criteria prescribed by the Fund and whose credit requirement does not exceed the specified limit under PMMY. Specified limit of the loan shall be Rs.10 lakh or such other amount as may be decided

by the Fund from time to time. Further, Overdraft loan amount of Rs.10,000/- sanctioned under PMJDY accounts shall also be eligible to be covered under Credit guarantee Fund. Eligible borrower would also mean Self Help Groups who meet eligibility criteria prescribed by the Fund and whose loan amount is above Rs.10 lakh and upto Rs.20 lakh.

2. Paragraph at Serial No. 8 (i) (a) of Chapter III of Notification number S.O. 1443(E) dated the 18th April, 2016, shall be read as:

(a) During the base year (year of portfolio built-up) – Guarantee fee shall be paid on the sanctioned amount corresponding to the outstanding balance of the quarterly built up balance of the portfolio of micro loans, including micro unit/enterprise set up under Joint Liability Group (JLG) framework, individually or jointly, for the full year or broken period i.e. till March 31 of the subsequent year, as the case may be, and the Guarantee will be valid upto the end of that financial year. It may be noted that for such sanctioned cases which have been cancelled/repaid/pre-paid/taken over during the currency of the portfolio, no guarantee fee shall be charged for such sanctioned cases in the portfolio and no guarantee cover would be applicable.

3. Paragraph at Serial No. 9 (i) of Chapter IV of Notification number S.O. 1443(E) dated the 18th April, 2016, shall be read as:

(i) In the nature of 'First Loss Portfolio Guarantee', wherein first loss to the extent of 3% of the amount in default, will be borne by the MLI and therefore, will be excluded for the claim. Out of the balance portion, the 'extent of guarantee' will be to a maximum of 75% of 'Amount in Default' in the portfolio or such other percentage as may be specified by the Fund from time to time on a pro-rata basis. The same shall apply for micro unit/enterprise set up under Joint Liability Group (JLG) framework, individually or jointly.

All other terms and conditions of the said Scheme shall remain unchanged.

[F. No. 16/01/2021 - PMMY]

MUKESH KUMAR BANSAL, Jt. Secy.